



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना सिंघावली अहीर दिनांक 28.04.2025

थाना सिंघावली अहीर पुलिस एवं स्वाट बागपत की संयुक्त टीम ने थाने के मु0अ0सं0 153/25 धारा 305(ए) बी.एन.एस. व मु0अ0सं0 155/25 धारा 303(2) बी.एन.एस का सफल अनावरण करते हुए 02 अभियुक्तों को बाद पुलिस मुठभेड़ (घायलवस्था) में किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से दिल्ली से चोरी की हुई एक मोटर साईकिल नं0 DL-1SZ-0952, 35 किलो तार एल्युमिनियम, घटना में प्रयुक्त 02 अवैध तमंचे मय 02 जिन्दा व 02 खोखा कारतूस बरामद ।

संक्षिप्त विवरण:-

1-दिनांक

26.04.2025 को

थाना सिंघावली
अहीर पर वादी

राजवीर शर्मा पुत्र

काशीराम निवासी

ग्राम डौला थाना

सिंघावली अहीर

जनपद बागपत ने

लिखित तहरीर

दी कि अज्ञात चोर

द्वारा उसकी

ट्यूबवैल से

स्टार्टर, केबिल व

अन्य सामान

चोरी कर लिया

गया है ।



इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना सिंघावली अहीर पर मु०अ०सं० 153/25 धारा 305(ए) बीएनएस पंजीकृत किया गया ।

2- दिनांक 27.04.2025 को थाना सिंघावली अहीर पर वादी राजू पुत्र शानू निवासी माता मौहल्ला कस्बा अमीनगर सराय थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ने लिखित तहरीर दी कि अज्ञात अभियुक्त द्वारा स्ट्रीट लाईन का तार व 12 एल०ई०डी० लाईट चोरी कर लिया गया है। इस सम्बन्ध में थाना सिंघावली अहीर पर मु०अ०सं० 155/25 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया ।

कार्यवाही -

श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं चोरों/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना सिंघावली अहीर पुलिस एवं स्वाट बागपत की संयुक्त टीम द्वारा थाने के मु०अ०सं० 153/25 धारा 305(ए) बीएनएस तथा 155/25 धारा 303(2) बीएनएस का सफल अनावरण करते हुए 02 अभियुक्तों को बाद पुलिस मुठभेड़ (घायलावस्था) में गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से दिल्ली से चोरी की हुई एक मोटर साईकिल नं० DL-1SZ-0952, 35 किलो तार एल्युमिनियम, घटना में प्रयुक्त 02 अवैध तमंचे मय 02 जिन्दा व 02 खोखा कारतूस बरामद हुए हैं ।

उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना सिंघावली अहीर पर मु०अ०सं० 156/25 धारा 109(1)/317(2)/317(3)/345(3) बीएनएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया है एवं मु०अ०सं० 153/25 तथा मु०अ०सं० 155/25 में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी है ।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता:-

1-दिलशाद उर्फ मोनू पुत्र अख्तर निवासी हुसैनपुर थाना मुरादनगर जनपद गाजियाबाद हाल पता नूरगंज मौहल्ला टंकी थाना मुरादनगर गाजियाबाद ।
(घायल)

2-आस मौहम्मद उर्फ कल्लू पुत्र इरशाद निवासी ग्राम शाहजहांपुर थाना दोघट जनपद बागपत । (घायल)

घटनास्थल/गिरफ्तारी का स्थान- डौला नहर पटरी महेशपुर चौपडा से पदडा जाने वाले रास्ते पर (दिनांक 28.04.2025)

बरामदगी का विवरण:-

- दिल्ली से चोरी की हुई एक मोटर साईकिल स्प्लेन्डर नं0 DL-1SZ-0952 । (मु0अ0सं0 02499/19 धारा 379 भादवि थाना शाहदरा दिल्ली)
- 35 किलो तार एल्युमिनियम
- एक तमंचा .315 बोर मय 01 जिन्दा एवं एक खोखा कारतूस ।
- एक तमंचा .12 बोर मय 01 जिन्दा एवं एक खोखा कारतूस ।

गिरफ्तार अभियुक्त दिलशाद उर्फ मोनू उपरोक्त का आपराधिक इतिहास

- 1- मु0अ0सं0 508/23 धारा 414/414 भादवि थाना मुरादनगर जनपद गाजियाबाद।
- 2- मु0अ0सं0 204/23 धारा 136 विधुत अधिनियम थाना परतापुर जनपद मेरठ ।
- 3- मु0अ0सं0 192/19 धारा 395/397/412/427 भादवि थाना भावनपुर जनपद मेरठ ।
- 4- मु0अ0सं0 203/19 धारा 307 भादवि थाना भावनपुर जनपद मेरठ ।
- 5- मु0अ0सं0 207/19 धारा 25 आर्म्स एक्ट थाना भावनपुर जनपद मेरठ ।
- 6- मु0अ0सं0 103/25 धारा 303(2)/324(4) बीएनएस थाना बडौत जनपद बागपत।
- 7- मु0अ0सं0 242/25 धारा 109(1)/3(5) बीएनएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 8- मु0अ0सं0 153/25 धारा 305ए बीएनएस थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।
- 9- मु0अ0सं0 155/25 धारा 303(2) बीएनएस थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।

गिरफ्तार अभियुक्त आस मौहम्मद उर्फ कल्लू उपरोक्त का आपराधिक इतिहास

- 1- मु0अ0सं0 153/25 धारा 305ए बीएनएस थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।
- 2- मु0अ0सं0 155/25 धारा 303 (2) बीएनएस थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।
- 3- मु0अ0सं0 103/25 धारा 303(2)/324(4) बीएनएस थाना बडौत जनपद बागपत।
- 4- मु0अ0सं0 242/25 धारा 109(1)/3(5) बीएनएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना बडौत जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- 1-थानाध्यक्ष श्री सोनवीर सोलंकी थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।
- 2-उ0नि0 श्री सूर्यदीप सिंह प्रभारी स्वाट टीम जनपद बागपत ।
- 3-उ0नि0 श्री प्रियवृत्त आर्य थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।
- 4-उ0नि0 श्री अमरदीप सिंह थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।
- 5-उ0नि0 श्री आरिफ अली थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।
- 6-उ0नि0 श्री पुलकित सिंह थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।
- 7-है0का0 546 विपिन सिरौही थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।
- 8-है0का0 294 नरेन्द्र नागर थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।
- 9-है0का0 49 प्रमोद कुमार थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।
- 10-है0का0 681 दीपक कुमार स्वाट टीम जनपद बागपत ।
- 11-है0का0 680 अमरजीत स्वाट टीम जनपद बागपत ।
- 12-का0 375 मोनू शर्मा स्वाट टीम जनपद बागपत ।
- 13-का0 403 नितिन त्यागी स्वाट टीम जनपद बागपत ।
- 14-का0 402 विशाल पूनियाँ स्वाट टीम जनपद बागपत ।
- 15-का0 579 कौशल शर्मा थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बड़ौत

दिनांक 28.04.2025

थाना बड़ौत पुलिस एवं स्वाट बागपत की संयुक्त टीम ने चैकिंग के दौरान थाने के मु0अ0सं0 103/25 धारा 303(2)/324(4) बी.एन.एस. का सफल अनावरण करते हुए 02 अभियुक्तों को बाद पुलिस मुठभेड़ (घायलवस्था) में किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से 01 गाड़ी वैगनॉर बिना नम्बर प्लेट , 01 तार काटने का कटर ,02 ब्लेड लोहा काटने के, 1.5 क्विंटल तार विद्युत लाईन एल्युमिनियम तथा घटना में प्रयुक्त 02 अवैध तमंचे मय 02 जिन्दा व 02 खोखा कारतूस .315 बोर बरामद ।

संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 19.02.2025 को थाना बड़ौत पर वादी नरेन्द्र प्रताप अवर अभियन्ता 33/11 केवी विद्युत तहसील/कोताना रोड़ थाना बड़ौत जनपद बागपत ने लिखित सूचना दी कि अज्ञात चोर द्वारा 33/11 के0 वी0 विद्युत लाइन में से कुल 1700 मीटर तार चोरी कर लिया है एवं विद्युत लाइन को क्षतिग्रस्त कर दिया है । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बड़ौत पर मु0अ0सं0 103/25 धारा 303(2)/324(4) बीएनएस



पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही -

श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बड़ौत पुलिस एवं स्वाट बागपत की संयुक्त टीम द्वारा चैकिंग के दौरान थाने के मु0अ0सं0 103/25 धारा 303(2)/324(4) बी.एन.एस. का सफल अनावरण करते हुए डौला नहर पटरी शिकोहपुर पुल से 02 अभियुक्तों को बाद पुलिस मुठभेड़ (घायलावस्था) में गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से 01 गाड़ी वैगनॉर बिना नम्बर प्लेट , 01 तार काटने का कटर, 02 ब्लेड लोहा काटने के, 1.5 क्विंटल तार विद्युत लाईन एल्युमिनियम तथा घटना में प्रयुक्त 02 अवैध तमंचे मय 02 जिन्दा व 02 खोखा कारतूस .315 बोर बरामद हुए हैं।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना बड़ौत पर मु0अ0सं0 242/25 धारा 109(1)/3(5) बीएनएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया है एवं मु0अ0सं0 103/25 में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता:-

1. शहजाद पुत्र इकबाल निवासी मोहल्ला अमन कालोनी इस्लामनगर जनपद गाजियाबाद (घायल) ।

2. जाहिद पुत्र रियाजुद्दीन निवासी गोकुलपुर थाना भावनपुर जनपद मेरठ वर्तमान पता ग्राम गौसपुर थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत (घायल) ।

घटना स्थल/गिरफ्तारी स्थान- डौला नहर पटरी शिकोहपुर पुल (दिनांक 28-04-2025) ।

बरामदगी का विवरण:-

- 01 गाड़ी वैगनॉर बिना नम्बर प्लेट ।
- 01 तार काटने का कटर ।
- 02 ब्लेड लोहा काटने के ।
- 1.5 क्विंटल तार विद्युत लाईन एल्युमिनियम ।
- घटना में प्रयुक्त 02 अवैध तमंचे मय 02 जिन्दा व 02 खोखा कारतूस .315 बोर ।

गिरफ्तार अभियुक्त शहजाद का आपराधिक इतिहास

- 1-मु0अ0सं0 417/15 धारा 395/397/412 भादवि थाना मुरादनगर जनपद गा0बादा
- 2-मु0अ0सं0 427/15 धारा 25/4 आर्म्स एक्ट थाना मुरादनगर जनपद गा0बादा
- 3-मु0अ0सं0 1045/18 धारा 379/411 भादवि थाना सिहानी गेट जनपद गाजियाबादा
- 4-मु0अ0सं0 1105/18 धारा 25/4 आयुध अधि0 थाना सिहानी गेट जनपद गा0बादा
- 5-मु0अ0सं0 1107/18 धारा 414 भादवि थाना सिहानी गेट जनपद गाजियाबादा
- 6- मु0अ0सं0 103/25 धारा 303(2)/324(4) बी.एन.एस. थाना बडौत जनपद बागपता
- 7- मु0अ0सं0 242/25 धारा 109(1)/3(5) बीएनएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना बडौत जनपद बागपता

गिरफ्तार अभियुक्त जाहिद का आपराधिक इतिहास

- 1-मु0अ0सं0 18/23 धारा 379/427 भादवि थाना किठौर जनपद मेरठा
- 2-मु0अ0सं0 429/24 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना परतापुर जनपद मेरठा
- 3-मु0अ0सं0 433/24 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना परतापुर जनपद मेरठा ।
- 4-मु0अ0सं0 485/23 धारा 411/414 भादवि थाना परतापुर जनपद मेरठा
- 5-मु0अ0सं0 192/19 धारा 34/395/397/412/427 भादवि थाना भावनपुर जनपद मेरठा
- 6-मु0अ0सं0 203/19 धारा 307 भादवि थाना भावनपुर जनपद मेरठा
- 7-मु0अ0सं0 206/19 धारा 25 आर्म्स एक्ट थाना भावनपुर जनपद मेरठा
- 8-मु0अ0सं0 280/22 धारा 136 विद्युत अधि0 थाना मुण्डाली जनपद मेरठा
- 9-मु0अ0सं0 537/15 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट व 398/401 भादवि थाना मेडिकल जनपद मेरठा
- 10- मु0अ0सं0 103/25 धारा 303(2)/324(4) बी.एन.एस. थाना बडौत जनपद बागपता

11- मु0अ0सं0 242/25 धारा 109(1)/3(5) बीएनएस व 3/25/27 आम्स एक्ट थाना बडौत जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- 1-प्रभारी निरीक्षक श्री मनोज कुमार चाहल थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 2-व0उ0नि0 श्री सागर सिंह थाना बडौत जनपद बागपत।
- 3- उ0नि0 श्री सूर्यदीप सिंह स्वाट टीम प्रभारी जनपद बागपत।
- 4- उ0नि0 आदित्य कुमार थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 5- उ0नि0 सत्यवीर सिंह थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 6- उ0नि0 मौ0 आसिफ थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 7-उ0नि0 सचिन कुमार थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 8-उ0नि0 सिद्धार्थ सक्सेना थाना बडौत जनपद बागपत।
- 9- है0का0 425 वीरेन्द्र कुमार थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 10- है0का0 629 भारत थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 11- है0का0 316 नागेन्द्र कुमार थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 12- है0का0 226 धर्मेन्द्र थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 13- है0का0 248 अमित थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 14- है0का0 633 रूस्तम थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 15-है0का0 681 दीपक कुमार स्वाट टीम जनपद बागपत।
- 16-है0का0 680 अमरजीत स्वाट टीम जनपद बागपत।
- 17- का0 647 प्रवीण भाटी थाना बडौत जनपद बागपत ।
18. का0 775 मंजीत पूनियाँ थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 19- का0 919 गजेन्द्र थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 20- का0 375 मोनू शर्मा स्वाट टीम जनपद बागपत
- 21- का0 403 नितिन त्यागी स्वाट टीम जनपद बागपत
- 22-का0 402 विशाल पूनियाँ स्वाट टीम जनपद बागपत



प्रेस नोट
थाना बिनौली

दिनांक 28.04.2025

थाना बिनौली पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 119/25 धारा
191(2)/352/115(2)/110 बीएनएस से सम्बन्धित 01 अभियुक्त को किया
गिरफ्तार, जिसकी निशांदाही पर घटना में प्रयुक्त एक डंडा बरामद ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 27.04.2025 को थाना बिनौली पर वादी दिनेश पुत्र धर्मा निवासी ग्राम गढीदुल्ला थाना बिनौली जनपद बागपत ने लिखित तहरीर दी कि अभियुक्तों छैला, आत्माराम पुत्र इमरत व 04 महिला निवासीगण ग्राम गढीदुल्ला



थाना बिनौली जनपद बागपत व गौरव पुत्र नामालूम द्वारा उसके साथ गाली-गलौच करते हुए मारपीट की व सिर पर वार किया गया । इस सम्बन्ध में थाना बिनौली पर मु0अ0सं0 119/25 धारा 191(2)/352/115(2)/110 बीएनएस पंजीकृत किया गया ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बिनौली पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 119/25 धारा 191(2)/352/115(2)/110 बीएनएस से सम्बन्धित एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है तथा अभियुक्त की निशांदाही पर घटना में प्रयुक्त एक डण्डा बरामद हुआ है ।

उक्त गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

छैलाराम पुत्र आत्माराम निवासी गढी दुल्ला थाना बिनौली जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण-

- घटना में प्रयुक्त एक डण्डा ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ०नि० श्री हिमान्शु सागर थाना बिनौली जनपद बागपत ।

2-है०का० 648 चौब सिंह थाना बिनौली जनपद बागपत ।





प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना छपरौली

दिनांक 28.04.2025

थाना छपरौली पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 107/25 धारा 303(2) बीएनएस का सफल अनावरण करते हुए 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से चोरी किया हुआ सीसीटीवी कैमरा व कैमरे की सोलर प्लेट बरामद ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 27.04.2025 को थाना छपरौली पर वादी श्री रोहित पंवार पुत्र ताहर सिंह निवासी ग्राम शबगा थाना छपरौली जनपद बागपत ने लिखित तहरीर दी कि अज्ञात अभियुक्त द्वारा उसका सीसीटीवी



कैमरा व सोलर प्लेट चोरी कर लिया गया है। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना हाजा पर मु0अ0सं0 107/25 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं चोरों/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना छपरौली पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 107/25 धारा 303(2) बीएनएस का सफल अनावरण करते हुए 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से चोरी किया हुआ सीसीटीवी कैमरा व सोलर प्लेट बरामद हुई है।

उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

बरामदगी का विवरण-

- सीसीटीवी कैमरा
- कैमरे की सोलर प्लेट ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

बबलू पुत्र सहेन्द्र निवासी ग्राम शबगा थाना छपरौली जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री राहुल प्रताप सिंह थाना छपरौली ।
- 2-का0 411 पीयूष त्यागी थाना छपरौली ।
- 3-का0 976 लवकुश बालियान थाना छपरौली ।





प्रेस नोट जनपद बागपत

महिला थाना

दिनांक 28.04.2025

महिला थाना पुलिस ने 01 वारंटी अभियुक्ता को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अन्तर्गत महिला थाना पुलिस द्वारा 01



वारंटी अभियुक्ता को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

रुकसार पुत्री नूरहसन पत्नी शहजाद निवासी कस्बा व थाना कैराना जनपद शामिली

हाल निवासी ग्राम बोहला थाना बड़ौत जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री विनय कुमार महिला थाना ।
- 2-है0का0 227 शैलेश कुमार महिला थाना ।
- 3-म0का0 189 ऋतु महिला थाना ।
- 4-म0हो0गा0 814 रमनतेश महिला थाना ।